राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023

संख्या– संख्या–न0नि0 50–05 / 2022..........4292

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, मधेपुरा, अररिया,
दरभंगा, गया, नालन्दा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण,
प0 चम्पारण, पटना, कैमूर, सारण एवं वैशाली।

पटना दिनांक– 19.12.23

विषय :– नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगपालिका उप निर्वाचन, 2023 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), आई.टी. से संबंधी पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं यथा–नामांकन प्रक्रिया, मतदान प्रबंधन, ई.वी.एम. की जानकारी, मतगणना, विभिन्न आई.टी. एप, आदर्श आचार संहिता इत्यादि की जानकारी दिये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण राज्य स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेसिंग (BSWAN) के माध्यम से ऑनलाईन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुरूप निर्धारित की गयी है :–

तिथि एवं समय	जिला का नाम	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पदाधिकारी
20.12.2023 04:00 PM to 06:00 PM	मधेपुरा, अररिया, दरभंगा, गया, नालन्दा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, पटना, कैमूर, सारण एवं वैशाली	निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, जिल उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) आई.टी. से संबंधी पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी

विदित हो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त पदाधिकारी जिला स्तर पर दिये जानेवाले प्रशिक्षण के Resource Person होंगे। इस क्रम में इनके द्वारा जिला स्तरीय Master Trainer का अतिरिक्त समूह भी तैयार किया जायेगा। सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने–अपने जिलान्तर्गत प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित करेंगें कि निर्वाचन से सम्बद्ध सभी पदाधिकारी/कर्मियों को छोटे–छोटे समूह में ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रशिक्षण के क्रम में ई.वी.एम. के संचालन की हैंण्डस ऑन ट्रेनिंग अधिक से अधिक दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारी को आयोग स्तर से निर्धारित ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ससमय सम्मिलित होने के लिए निदेशित करने की कृपा की जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जायें।

विश्वासभाजन

19/12/23

सचिव।

ज्ञापांक— न0नि0 50—05 / 2022 4292 पटना, दिनांक— 19.12.23

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त (भागलपुर एवं मुंगेर को छोड़कर), बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

19/12/23

सचिव।

ज्ञापांकः— न0नि0 50—05 / 2022 4292 पटना, दिनांकः— 19.12.23

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

19/12/23

सचिव।